उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग -2

संख्या-क0नि0-2-1415/ग्यारह-9(15)/17 -उ0प्र0 अधि0-1- 2017-आदेश-(49) -2017
लखनऊ: दिनांकः 27 सितम्बर, 2017

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा-1 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल 18 सितम्बर, 2017 को ऐसी तारीख नियत करते हैं जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबन्ध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के (क) और (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के सम्बंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:--

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियन्त्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,-

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित, या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित सोसाइटी;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:

परन्तु उक्त व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता को किये गये या जमा किये गये संदाय से कर की कटौती करने के दायी होंगे।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव